वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 05.04.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, ज्ञानशिखा टाइम्स, न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 05.04.2025

वीडीए ने दो बीघे में अवैध प्लॉटिंग कराई ध्वस्त

वाराणसी। वीडीए की ओर से शुक्रवार को दो बीघे में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। साथ ही अवैध निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार, मुगलसराय वार्ड के अलीनगर बिछड़ी नटान बस्ती में अज्ञात की ओर से बगैर नक्शा पास कराए अवैध रूप से 2 बीघे में प्लॉटिंग की जा रही थी। पूर्व में नोटिस दिया गया था। बावजूद ले-आउट शमन मानचित्र दाखिल नहीं किया गया। नई बस्ती, बेचूपुर में टुन्नू ,पवन, संदीप, दीपक, ताड़कनाथ गुप्ता की ओर से बिना मानचित्र अवैध निर्माण किया जा रहा था। पूर्व में नोटिस दिया गया था। सुनवाई और मानचित्र स्वीकार कराने के लिए अवसर दिया गया। बावजूद मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया। अवैध निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दे दिया गया। सभी कार्रवाई जोनल अधिकारी गौरव जयप्रकाश ने की। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 05.04.2025

भुगतान न करने वालों का आवंटन होगा निरस्त

वाराणसी। बकाया भुगतान नहीं करने वालों के दुकानों या मकानों का आवंटन निरस्त किया जाएगा। तीन दिन में बकाया चुकाने और नदेसर मीट मार्केट की रजिस्ट्री जल्द करने पर वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने जोर दिया। शुक्रवार को वीडीए में उन्होंने संपत्ति अनुभाग की समीक्षा की। इसमें बकायेदारों से बकाया वसूली, किराये पर आवंटित संपत्तियों के भुगतान, लंबित प्रकरणों के निस्तारण सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा की गई। उपाध्यक्ष ने कहा कि जो बकायेदार भुगतान नहीं कर रहे हैं, उनकी संपत्तियों को निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। बड़े बकायेदारों को तीन दिन के भीतर बकाया भुगतान करने के लिए अंतिम नोटिस दिया जाए। यदि वे निर्धारित समय में भुगतान नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नदेसर मीट मार्केट के संदर्भ में उपाध्यक्ष ने निर्देशित किया कि तीन दिनों के भीतर मीट मार्केट के पूर्व व्यवसायियों से संपर्क कर भुगतान सुनिश्चित कराएं। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 05.04.2025

होटल त्रिदेव और पर्ल कोटयार्ड ने नहीं छोड़ा सेटबैक, बेसमेंट में दुकान

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण और होटल संचालित करने पर विकास प्राधिकरण सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा के नेतृत्व में टीम धमक पड़ी। मैदागिन स्थित काल भैरव मंदिर चौराहे पर होटल त्रिदेव और लक्शा रोड पर होटल पर्ल कोटयार्ड मानचित्र के विपरीत पाए जाने और मौके पर नक्शा नहीं दिखाने पर संचालक को तीन दिन की मोहलत दी गई है। तय अवधि में नक्शा नहीं दिखाने पर दोनों होटलों का संचालन बंद किया जाएगा। साथ ही उनके लाइसेंस को निरस्त कराने के लिए जिला प्रशासन को पत्र भेजा जाएगा। उनके साथ अग्नि शमन विभाग के भी अधिकारी थे।

मैदागिन स्थित काल भैरव मंदिर चौराहे पर होटल त्रिदेव ओंमकार नाथ महेश्वरी के नाम से है। वीडीए से दो मंजिल बेसमेंट के अलावा ऊपर अधिक बना है। एक फ्लोर बेसमेंट में पार्किंग की बजाय दुकानें खुली है।

होटल संचालक से पूछताछ करते वीडीए सचिव, साथ में अग्नि शमन अधिकारी • वीडीए

सेटबैक नहीं छोड़ा गया है जबकि कार्नर प्लाट होने पर अधिक सेटबैक छोड़ना पड़ता है लेकिन भवन स्वामी ने स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण किया है। । दिलीप जायसवाल ने भी स्वीकृत मानचित्र के विपरीत अधिक होटल का निर्माण कराया है। सेटबैक नहीं छोड़ा है। कुंभ में भीड़ होने के चलते यहां जाम की स्थिति बनी थी। शासन और विकास प्राधिकरण में शिकायत होने पर वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा, अपर सचिव परमानंद यादव, जोनल अधिकारी सौरभ कुमार के अलावा अग्नि शमन विभाग की टीम जांच करने पहुंची तो उनके सवालों का जवाब दोनों होटल संचालकों के पास नहीं था। दोनों मौके पर होटल स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखा सके। उनके अनुरोध पर वीडीए सचिव ने तीन दिन की मोहलत दी है। सचिव ने बताया कि स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण होने पर जोनल अधिकारी को नोटिस जारी करने को कहा गया है। अग्नि शमन विभाग अपनी रिपोर्ट जल्द देगी।

दैनिक जागरण–दि0 05.04.2025

वीडीए बकाएदारों को जारी करेगा अंतिम चेतावनी नोटिस

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने शुक्रवार को संपत्ति अनुभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने लालपुर आवासीय योजना, देवकी नंदन हवेली, अशोक बिहार, बड़ी गैबी, पिचाश मोचन, शास्त्री नगर योजना, गांधी नगर आवासीय योजना, विनायक आवासीय योजना, गंगा नगर आवासीय योजना, पांडेयपुर, रामनगर आवासीय योजना, संजय गांधी नगर और नदेसर से संबंधित लंबित प्रकरणों की एक-एक कर समीक्षा की। जिन बकाएदारों द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है, उनकी संपत्तियों को निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। निर्देश दिया कि सभी बड़े बकायादारों को तीन दिन के अंदर बकाया भुगतान करने के लिए अंतिम नोटिस दिया जाए। ट्रांसपोर्टर नगर में 78 ई–आक्शन द्वारा किए गए प्लाटों में जमा राशि की समीक्षा की। बैठक में वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा, अपर सचिव परमानंद यादव, संपत्ति अधिकारी आदि मौजूद थे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

हिन्दुस्तान–दि0 05.04.2025

तीन दिन में बकाया ने देने पर आवंटन निरस्त होंगे

- वीडीए उपाध्यक्ष ने कार्रवाई का दिया निर्देश
- नदेसर मीट मार्केट की रजिस्ट्री जल्द कराएं

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने शुक्रवार को संपत्ति अनुभाग की समीक्षा की। बकाएदारों से वसूली, किराए पर आवंटित संपत्तियों के भुगतान, लंबित प्रकरणों के निस्तारण सहित कई योजनाओं की प्रगति जानी। कहा कि जो बकाएदार भुगतान नहीं कर रहे हैं, उनकी संपत्तियों का आवंटन निरस्त किया जाए।

अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी बड़े बकायादारों को तीन दिन में भुगतान के लिए अंतिम नोटिस दिया जाए। यदि वे तय समय में भुगतान नहीं करते हैं, तो उचित कानूनी कार्रवाई होगी। बैठक में विभिन्न आवासीय योजनाओं से संबंधित लंबित प्रकरणों पर चर्चा हुई। कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर में ई-ऑक्शन के जरिए आवंटित 78 प्लाटों की 25 फीसदी धनराशि एक माह में जमा कराएं। संपत्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि तीन दिनों में नदेसर मीट मार्केट के पूर्व व्यवसायियों से संपर्क कर भुगतान सुनिश्चित कराएं और उनकी रजिस्ट्री पूर्ण कराई जाए। बैठक में सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा, अपर सचिव परमानंद यादव भी थे।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 05.04.2025

जोन-5, वार्ड-मुगलसराय के अंतर्गत अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण एवं अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी। वार्ड–मुगलसराय, मौजा–अलीनगर, बिछड़ी नटान बस्ती के अन्तर्गत अज्ञात द्वारा बिना लेआउट स्वीकृत कराए लगभग 2976 वर्गमीटर (02 बीघे) जमीन

पर अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तगर्त पूर्व में नोटिस की कार्यवाही की गयी थी परन्तु प्लाटिंगकर्ता द्वारा ले–आउट शमन मानचित्र दाखिल नही किया गया द्य अत: आज दिनांक 04/04/2025 को अवैध प्लोत्तिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी । वार्ड–मुगलसराय, मौजा–नई बस्ती, बेचूपुर के अन्तर्गत टुन्नू पुत्र स्व0 ठाकुर प्रसाद व पवन, संदीप व दीपक पुत्र स्व0 शंकर दयाल व ताड़कनाथ गुप्ता पुत्र स्व0 ठाकुर प्रसाद द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण किया जा रहा जिसपर पूर्व में उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी द्य सुनवाई एवं मानचित्र स्वीकार कराने हेतु पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। किन्तु मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया। अत: स्थल को आज दिनांक 04/04/2025 को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दे दिया गया।मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश एवं अवर अभियंता अशोक कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश—दि0 05.04.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने की समीक्षा बैठक

वाराणसी। विकास प्राधिकरण वाराणसी, के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में समिक्षा बैठक आहुत कि गयी। जिसमे संपत्ति अनुभाग के

20 बड़े बकायदारों से बकाया पैसा जमा कराए जाने, किराये पर आवंटित संपत्तियों के पैसा जमा कराए जाने, लंबित प्रकरणों की समीक्षा, लालपुर आवासीय योजना, देवकी नंदन हवेली ,अशोक बिहार, बड़ी गैबी, पिचास मोचन, शास्त्रीनगर योजना, गांधी नगर आवासीय योजना, विनायक आवासीय योजना, गंगा नगर आवासीय योजना, पांडेयपुर, रामनगर आवासीय योजना, संजय गाँधी नगर, नदेसर के संबंध में समीक्षा बैठक आहूत की गइ। वाराणसी विकास प्राधिकरण की विकृत सम्पतियो में योजनावार बकायेदार व आर0म0एस0 पोर्टल पर किराये की सम्पतियों की योजनावार समीक्षा की गयी ।20 बड़े बकायदारों की विशेष रूप से समीक्षा बैठक की गिया । ट्रांसपोर्ट नगर में 78 ई-ऑक्शन द्वारा किये गये प्लाटों में जमा हुए पैसे की समीक्षा की गयी तथा निर्देशित किया गया कि एक माह के अन्दर 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराये। संपत्ति अनुभाग के बकायदारों की समीक्षा की गयी साथ ही साथ योजनावार बड़े बकायदारों की समीक्षा कर, निर्देशित किया गया कि विगत 03 दिनों के अंदर बकायदारों को जल्द से जल्द भुगतान करे, अन्यथा कि स्थीति में उचित कारवाई की जाएगी । नदेसर मीट मार्केट के सन्दर्भ में संपत्ति अधिकारी, सहायक संपत्ति अधिकारी, तथा पटल सहायक को निर्देशित किया गया कि 03 दिनों के अंदर पूर्व नदेसर मीट मार्केट के व्यवसायियों से संपर्क स्थापित कर, पैसा जमा कराकर रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें । बैठक के दौरान सचिव डॉ0 वेद प्रकाश मिश्रा, अपर सचिव परमानन्द यादव, संपत्ति अधिकारी, सहायक संपत्ति अधिकारी, तथा पटल सहायक उपस्थित रहे ।